रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2077] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 27, 2017/श्रावण 5, 1939
No. 2077] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 27, 2017/ SRAVANA 5, 1939

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2017

का. आ. 2343(अ).—केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जिला वाराणसी के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

क- पदेन सदस्यगण

(i)	जिलाधिकारी, वाराणसी	- अध्यक्ष ;
(ii)	अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी	- सदस्य;
(iii)	अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, बांध प्रभाग, वाराणसी	- सदस्य;
(iv)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वाराणसी	- सदस्य;
(v)	महा प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उत्तर प्रदेश जल निगम, वाराणसी	- सदस्य;
(vi)	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी	- सदस्य;
(vii)	जिला वन अधिकारी , वाराणसी	- सदस्य व संयोजक;

ख- नामित सदस्यगण :

(i)	अपर जिलाधिकारी (नगर), वाराणसी	- सदस्य;
(ii)	श्री शिव शंकर यादव, सभासद, नारायणपुर, वाराणसी नगर निगम, वाराणसी	- सदस्य;

(iii) श्रीमती नेहा जायसवाल, सभासद, रमरेपुर, वाराणसी नगर निगम, वाराणसी - सदस्य;

(iv) प्रोफेसर यू. के. चौधरी, (सेवानिवृत) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी - सदस्य;

(v) प्रोफेसर पी. के. सिंह, विभागाध्यक्ष, सिविल अभियंत्रण विभाग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी - सदस्य;

(vi) श्री पी. के. चौधरी, अध्यक्ष, भारतीय उद्योग संघ, वाराणसी - सदस्य;

2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

3. जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी।

4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।

5. अध्यक्ष, दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था.-01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड-II)]

राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

(राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन)

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

ORDER

New Delhi, the 27th July, 2017

S.O.2343(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection), Act. 1986 (29 of 1986), read with the paragraph 53 of the notification of the Government of India, in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), *vide* number S. O. 3187 (E), dated the 7th October, 2016 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Protection Committee for District Varanasi of the State of Uttar Pradesh, comprising of the following members, namely:-

A. Ex-officio Members:

(a) District Magistrate, Varanasi - Chairperson;

(b) Executive Engineer, Prantiya Khand, Public Works Department, Varanasi - Member;

(c) Executive Engineer, Irrigation Department, Dam Division, Varanasi - Member;

(d) Chief Medical Officer, Varanasi - Member;

(e) General Manager, Ganga Pollution Control Unit, Uttar Pradesh Jal Nigam, Varanasi - Member;

(f) Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Varanasi - Member;

(g) District Forest Officer, Varanasi - Member and Convenor;

B. Nominated Members:

(a) Additional District Magistrate (City), Varanasi - Member;

(b) Sri Shiv Shankar Yadav, Corporator, Narayanpur, Varanasi Nagar Nigam, Varanasi - Member;

(c) Smt. Neha Jaisawal, Corporator, Ramrepur, Varanasi Nagar Nigam, Varanasi - Member;

(d) Prof. U. K. Chaudhury, (Retired) Banaras Hindu University, Varanasi - Member;

(e) Prof. P. K. Singh, Head of the Department, Civil Engineering Department, Varanasi - Member;

(f) Sri P. K. Choudhury, Chairman, Bhartiya Udyog Sangha, Varanasi - Member.

2. The nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this order in the official gazette.

3. The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified in the said notification.

4. Travelling Allowance, Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the relevant rules of the State Government.

5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said notification.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration)

(National Mission for Clean Ganga)

आदेश

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2017

का. आ. 2344(अ).— केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जिला शाहजहाँपुर के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

क- पदेन सदस्यगण

(i) जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर - अध्यक्ष;

(ii) अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, शाहजहाँपुर - सदस्य;

(iii) अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, शाहजहाँपुर - सदस्य;

(iv) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शाहजहाँपुर - सदस्य;

(v) अधिशासी अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम, शाहजहाँपुर - सदस्य;

(vi) क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शाहजहाँपुर - सदस्य;

(vii) जिला निदेशक, वन, शाहजहाँपुर - सदस्य व संयोजक;

ख- नामित सदस्यगण :

(i) श्री शिशुपाल सिंह यादव, अपर मुख्य अधिकारी, जिला परिषद, शाहजहाँपुर - सदस्य;

(ii) श्री भूपेंद्र सिंह, खंड विकास समिति सदस्य, मदनपुर, शाहजहाँपुर - सदस्य;

(iii) श्री आशिफ खान, (वार्ड संख्या- 23), नगरपालिका, शाहजहाँपुर - सदस्य;

(iv) डॉ. आदर्श पांडे, सहायक प्रोफेसर, वनस्पति विज्ञान, एस. एस. कालेज, शाहजहाँपुर (पर्यावरणविद) - सदस्य;

(v) डॉ. शिखा सक्सेना, सहायक प्रोफेसर, वनस्पति विज्ञान, एस. एस. कालेज, शाहजहाँपुर (पर्यावरणविद) - सदस्य;

(vi) श्री अशोक अग्रवाल, विद्या प्लाई एंड बोर्ड प्राइवेट लिमिटेड, शाहजहाँपुर - सदस्य

IndiaCode

2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

3. जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी।

4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।

5. अध्यक्ष, दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. -01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड-II)]

राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

(राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन)

ORDER

New Delhi, the 27th July, 2017

S.O.2344(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection), Act. 1986 (29 of 1986), read with the paragraph 53 of the notification of the Government of India, in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), vide number S. O. 3187 (E), dated the 7th October, 2016 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Protection Committee for District Shahjahanpur of the State of Uttar Pradesh, comprising of the following members, namely:-

IndiaCode

A. Ex-officio Members:

(a)	District Magistrate, Shahjahanpur	-	Chairperson;
(b)	Public Works Department, Shahjahanpur	-	Member;
(c)	Executive Engineer, Irrigation Department, Shahjahanpur,	-	Member;
(d)	Chief Medical Officer, Shahjahanpur	-	Member;
(e)	Executive Engineer, Uttar Pradesh Jal Nigam, Shahjahanpur	-	Member;
(f)	Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Shahjahanpur	-	Member;
(g)	District Director, Forest, Shahjahanpur	-	Member and Convenor;

B. Nominated Members:

(a)	Mr. Shishupal Singh Yadav, Apar Mukhya Adhikari, District Board, Shahjahanpur	-	Member;
(b)	Sri Bhupendra Singh, Block Development Committee member, Madanapur, Shahjahanpur	-	Member;
(c)	Sri Ashif Khan (Ward Member No.23) Municipalities of Shahjahanpur	-	Member;
(d)	Dr. Adarsh Pandey, Assistant Professor, Botany, S. S. College, Shahjahanpur, Environmentalist	-	Member;
(e)	Dr.Shikha Saxena, Assistant Professor, Botany, S. S. College, Shahjahanpur, Environmentalist	-	Member;
(f)	Sri Ashok Agarwal, Vidya Ply & Board Private Limited, Shahjahanpur	-	Member.

2. The nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this order in the official gazette.

3. The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified in the said notification.

4. Travelling Allowance, Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the relevant rules of the State Government.

5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said notification.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration)

(National Mission for Clean Ganga)

आदेश

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2017

का. आ.2345 (अ).—केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जिला संभल के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

क- पदेन सदस्यगण

(i)	जिलाधिकारी, संभल	-	अध्यक्ष;
(ii)	अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभल	-	सदस्य;
(iii)	अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, संभल	-	सदस्य;
(iv)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, संभल	-	सदस्य;
(v)	अधिशासी अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम, संभल	-	सदस्य;
(vi)	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद	-	सदस्य;
(vii)	जिला वन अधिकारी, संभल	-	सदस्य व संयोजक;

ख- नामित सदस्यगण :

(i)	जिला विकास अधिकारी, संभल	-	सदस्य;
(ii)	श्री मुजफ्फर अली , अध्यक्ष, नगर पंचायत, गुन्नौर, संभल	-	सदस्य;
(iii)	श्रीमती राममूर्ति देवी, अध्यक्ष, नगर पंचायत, गवन, संभल	-	सदस्य;
(iv)	डॉ. वाई. पी. एस. चौहान, पूर्व प्रधानाचार्य, एस. एम. कालेज, चंदौसी	-	सदस्य;
(v)	श्री गंगा राम, पूर्व प्रधानाचार्य, बाबू राम इंटर कालेज, बबराला, संभल	-	सदस्य;
(vi)	श्री फूल प्रकाश, हिंदुस्तान मिंट एंड एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, चंदौसी	-	सदस्य;

2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

3. जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी।

4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।

5. अध्यक्ष, दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. -01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड-II)]

राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

(राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन)

IndiaCode

ORDER

New Delhi, the 27th July, 2017

S.O. 2345(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection), Act. 1986 (29 of 1986), read with the paragraph 53 of the notification of the Government of India, in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 3187 (E), dated the 7th October, 2016 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Protection Committee for District Sambhal of the State of Uttar Pradesh, comprising of the following members, namely:-

A. Ex-officio Members:

(a)	District Magistrate, Sambhal	- Chairperson;
(b)	Executive Engineer, Public Works Department, Sambhal	- Member;
(c)	Executive Engineer, Irrigation Department, Sambhal	- Member;
(d)	Chief Medical Officer, Sambhal	- Member;
(e)	Executive Engineer, Uttar Pradesh Jal Nigam, Sambhal	- Member;
(f)	Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Moradabad	- Member;
(g)	District Forest Officer, Sambhal	- Member and Convenor.

B. Nominated Members:

(a)	District Development Officer, Sambhal	- Member;
(b)	Sri Mujaffar Ali, Chairman, Nagar Panchyat, Gunnaur, Sambhal	- Member;
(c)	Smt. Rammurti Devi, Chairman, Nagar Panchayat, Gavan, Sambhal	- Member;
(d)	Dr. Y. P. S. Chauhan, Ex-Principal, S. M. College Chandausi	- Member;
(e)	Sri Ganga Ram, Ex-Principal, Babu Ram Inter College, Babrala	- Member;
(f)	Sri Phool Prakash, Hindustan Mint & Agro Private Limited, Chandausi	- Member.

2. The nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this order in the official gazette.

3. The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified in the said notification.

4. Travelling Allowance, Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the relevant rules of the State Government.

5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said notification.

[F. No. Estt.-01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration)

(National Mission for Clean Ganga)

आदेश

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2017

का.आ. 2346 (अ).—केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा

IndiaCode

3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जिला मीरजापुर के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

क- पदेन सदस्यगण

(i)	जिलाधिकारी, मीरजापुर	- अध्यक्ष;
(ii)	अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, मीरजापुर	- सदस्य;
(iii)	अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, मीरजापुर	- सदस्य;
(iv)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मीरजापुर	- सदस्य;
(v)	अधिशासी अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम, मीरजापुर	- सदस्य;
(vi)	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र	- सदस्य;
(vii)	प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, मीरजापुर	- सदस्य व संयोजक;

ख- नामित सदस्यगण :

(i)	जिला पंचायत राज अधिकारी, मीरजापुर	- सदस्य;
(ii)	श्री राजेश सोनकर, सभासद, वार्ड महुअरिया, मीरजापुर	- सदस्य;
(iii)	श्री अखिलेश सिंह, ग्राम प्रधान, भैदपुर, तहसील-सदर, मीरजापुर	- सदस्य;
(iv)	श्री कमलेश कुमार पुजारी, वरियाघाट, मीरजापुर (पर्यावरणविद)	- सदस्य;
(v)	श्री अनिल कुमार सिंह, प्रवक्ता, शांति निकेतन इंटर कालेज, पचोखरा, मीरजापुर (पर्यावरणविद)	- सदस्य;
(vi)	श्री मोहन दास अग्रवाल, प्रतिनिधि, उद्योग संघ, मीरजापुर	- सदस्य;

2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

3. जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी।

4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।

5. अध्यक्ष, दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था.-01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड-II)]

राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

(राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन)

ORDER

New Delhi, the 27th July, 2017

S.O.2346(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection), Act. 1986 (29 of 1986), read with the paragraph 53 of the notification of the Government of India, in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), *vide* number S. O. 3187 (E), dated the 7th October, 2016 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes an authority to be called as the District

IndiaCode

Ganga Protection Committee for District Mirzapur of the State of Uttar Pradesh, comprising of the following members, namely:-

A. Ex-officio Members:

(a)	District Magistrate, Mirzapur	- Chairperson;
(b)	Executive Engineer, Prantiya Khand, Public Works Department, Mirzapur	- Member;
(c)	Executive Engineer, Irrigation Department, Mirzapur	- Member;
(d)	Chief Medical Officer, Mirzapur	- Member;
(e)	Executive Engineer, Uttar Pradesh Jal Nigam, Mirzapur	- Member;
(f)	Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board , Sonebhadra	- Member;
(g)	District Forest Officer, Forest Department, Mirzapur	- Member and Convenor,

B. Nominated Members:

(a)	District Panchayat Raj Adhikari, Mirzapur	- Member;
(b)	Sri Rajesh Sonkar, Corporator, Ward Mahuariya, Mirzapur	- Member;
(c)	Sri Akhilesh Singh, Gram Pradhan, Vaidpur, Tehsil-Sadar, Mirzapur	- Member;
(d)	Sri Kamlesh Kumar Pujari, Variaghat, Environmentalist	- Member;
(e)	Sri Anil Kumar Singh, Lecturer, Shanti Niketan Inter College, Pachokhara, Mirzapur, Environmentalist	- Member;
(f)	Sri Mohan Das Agarwal, Representative of Udyog Sangh	- Member.

IndiaCode

2. The nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this order in the official gazette.

3. The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified in the said notification.

4. Travelling Allowance, Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the relevant rules of the State Government.

5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said notification.

[F. No. Estt.-01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration)

(National Mission for Clean Ganga)

आदेश

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2017

का. आ.2347 (अ).— केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जिला कौशांबी के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

क- पदेन सदस्यगण

(i) जिलाधिकारी, कौशांबी - अध्यक्ष;

(ii) अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, कौशांबी - सदस्य;

(iii) अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, कौशांबी - सदस्य;

(iv) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कौशांबी - सदस्य;

(v) अधिशासी अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम, कौशांबी - सदस्य;

(vi) क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इलाहाबाद - सदस्य;

(vii) प्रभागीय वन अधिकारी, कौशांबी - सदस्य व संयोजक;

ख- नामित सदस्यगण :

(i) डॉ. दिनेश कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी, कौशांबी - सदस्य;

(ii) श्री रमेश पाल, ग्राम प्रधान, भदेसर , कौशांबी - सदस्य;

(iii) श्री कमल किशोर, जिला पंचायत राज अधिकारी, कौशांबी - सदस्य;

(iv) श्री विनय कुमार पंडा, गंगा गोमती सेवा संस्थान, कारा, कौशांबी - सदस्य;

(v) श्री अजय क्रांतिकारी, पर्यावरण प्रमुख, पर्यावरण सेना, कौशांबी - सदस्य;

(vi) श्री रमेश अग्रहरी, अध्यक्ष, जिला व्यापार मण्डल, कौशांबी - सदस्य;

2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

3. जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी।

4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।

5. अध्यक्ष, दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. -01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड-II)]

राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

(राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन)

ORDER

New Delhi, the 27th July, 2017

S.O.2347(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection), Act. 1986 (29 of 1986), read with the paragraph 53 of the notification of the Government of India, in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), *vide* number S. O. 3187 (E), dated the 7th October, 2016 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Protection Committee for District Kaushambi of the State of Uttar Pradesh, comprising of the following members, namely:-

A. Ex-officio Members:

(a) District Magistrate, Kaushambi - Chairperson;

(b) Executive Engineer, Nirman Khand, Public Works Department, Kaushambi - Member;

IndiaCode

(c)	Executive Engineer, Irrigation Department, Kaushambi	- Member;
(d)	Chief Medical Officer, Kaushambi	- Member;
(e)	Executive Engineer, Uttar Pradesh Jal Nigam, Kaushambi	- Member;
(f)	Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Allahabad	- Member;
(g)	Divisional Forest Officer, Kaushambi	- Member and Convenor.

B. Nominated Members:

(a)	Dr. Dinesh Kumar, Singh, Chief Development Officer, Kaushambi	- Member;
(b)	Sri Ramesh Pal, Gram Pradhan, Bhadesar, Kaushambi	- Member;
(c)	Sri Kamal Kishore, District Panchayat Raj Adhikari, Kaushambi	- Member;
(d)	Sri Vinay Kumar Panda, Ganga Gomti Seva Sansthan Kara, Kaushambi	- Member;
(e)	Sri Ajay Krantikari, Paryavaran Pramukh, Paryavaran Sena	- Member;
(f)	Sri Ramesh Agrahari, Chairman, District Vyapar Mandal, Kaushambi	- Member.

2. The nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this order in the official gazette.

3. The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified in the said notification.

4. Travelling Allowance, Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the relevant rules of the State Government.

5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said notification.

IndiaCode

[F. No. Estt.-01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration)

(National Mission for Clean Ganga)

आदेश

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2017

का.आ.2348(अ).—केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जिला कन्नौज के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

क- पदेन सदस्यगण

(i)	जिलाधिकारी, कन्नौज	- अध्यक्ष ;
(ii)	अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड,लोक निर्माण विभाग, कन्नौज	- सदस्य;
(iii)	अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, कन्नौज	- सदस्य;
(iv)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कन्नौज	- सदस्य;
(v)	अधिशासी अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम, कन्नौज	- सदस्य;
(vi)	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर	- सदस्य;

(vii) प्रभागीय वनाधिकारी,वन प्रभाग, कन्नौज - सदस्य व संयोजक;

ख- नामित सदस्यगण :

(i) डॉ. अरुण कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी, सदर, कन्नौज - सदस्य;

(ii) श्री सर्वेश कुमार दुबे, प्रधान, ग्राम सभा मेहदीपुर, कन्नौज - सदस्य;

(iii) श्री पुश्पेन्द्र कटियार, प्रधान, ग्राम सभा मित्रसेनपुर, कन्नौज - सदस्य;

(iv) श्री विवेक वर्मा, सहायक अभियंता, पर्यावरण, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, कन्नौज - सदस्य;

(v) श्री मोहन सिंह, सहायक अभियंता (पर्यावरण), गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, कन्नौज - सदस्य;

(vi) श्री ओम प्रकाश पाठक, अध्यक्ष, इत्र एसोसिएसन, कन्नौज - सदस्य;

2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

3. जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी।

4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।

5. अध्यक्ष, दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था.-01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड-II)]

राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)
(राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन)

IndiaCode

ORDER

New Delhi, the 27th July, 2017

S.O.2348(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection), Act. 1986 (29 of 1986), read with the paragraph 53 of the notification of the Government of India, in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), *vide* number S. O. 3187 (E), dated the 7th October 2016 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Protection Committee for District Kannauj of the State of Uttar Pradesh, comprising of the following members, namely:-

A. Ex-officio Members:

(a) District Magistrate, Kannauj - Chairperson;

(b) Executive Engineer, Provincial Division, Public Works Department, Kannauj - Member;

(c) Executive Engineer, Irrigation Department, Kannauj - Member;

(d) Chief Medical Officer, Kannauj - Member;

(e) Executive Engineer, Uttar Pradesh Jal Nigam, Kannauj - Member;

(f) Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Kanpur - Member;

(g) Divisional Forest Officer, Kannauj - Member and Convenor.

B. Nominated Members:

(a)	Dr. Arun Kumar Singh, Sub-Divisional Magistrate, Sadar, Kannauj	- Member;
(b)	Shri Sarbesh Kumar Dubey, Pradhan, Gram Sabha Mehdipur, Kannauj	- Member;
(c)	Shri Pushpendra Katiyar, Pradhan, Gram Sabha Mitrasenpur, Kannauj	- Member;
(d)	Shri Vivek Verma, Assistant Engineer, Environment, Ganga Pollution Control Unit, Kannauj	- Member;
(e)	Shri Mohan Singh, Assistant Engineer (Environment) Ganga Pollution Control Unit, Kannauj	- Member;
(f)	Shri Om Prakash Pathak, President, Itar Association, Kannauj	- Member.

2. The nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this order in the official gazette.

3. The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified in the said notification.

4. Travelling Allowance, Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the relevant rules of the State Government.

5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said notification.

[F. No. Estt.-01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration)

(National Mission for Clean Ganga)

आदेश

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2017

का. आ.2349 (अ).—केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जिला हरदोई के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

क- पदेन सदस्यगण

(i)	जिलाधिकारी, हरदोई	- अध्यक्ष ;
(ii)	अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, खंड-2, बिलग्राम, हरदोई	- सदस्य;
(iii)	अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, हरदोई	- सदस्य;
(iv)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरदोई	- सदस्य;
(v)	अधिशासी अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम, हरदोई	- सदस्य;
(vi)	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव	- सदस्य;
(vii)	प्रभागीय निदेशक (प्रभागीय वन अधिकारी), हरदोई	- सदस्य व संयोजक;

ख- नामित सदस्यगण :

(i)	श्री अभिराम त्रिवेदी, जिला विकास अधिकारी, हरदोई	- सदस्य;
(ii)	श्री राम महेश यादव, ग्राम प्रधान, कुटुआपुर, विकास खंड, माधोगंज, हरदोई	- सदस्य;
(iii)	श्री सुशील चन्द्र अवस्थी, ग्राम प्रधान, मंसूरपुर, विकास खंड साण्डी, हरदोई	- सदस्य;
(iv)	श्री हरगोविंद सिंह, ग्राम-चटिया, धनवार, हरदोई (पर्यावरणविद)	- सदस्य;

IndiaCode

(v) श्री नरेंद्र चन्द्र शुक्ल, सेवानिवृत सी. एस. एन. डिग्री कालेज, हरदोई (पर्यावरणविद) - सदस्य;

(vi) श्री मन्नीलाल शाह, माँ वैष्णो उद्योग, नघेता रोड, हरदोई - सदस्य;

2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

3. जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी।

4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।

5. अध्यक्ष, दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था.-01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड-II)]

राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)
(राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन)

ORDER

New Delhi, the 27th July, 2017

S.O.2349(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection), Act. 1986 (29 of 1986), read with the paragraph 53 of the notification of the Government of India, in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), *vide* number S. O. 3187 (E), dated the 7th October 2016 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Protection Committee for District Hardoi of the State of Uttar Pradesh, comprising of the following members, namely:—

A. Ex-officio Members:

(a) District Magistrate, Hardoi - Chairperson;

(b) Executive Engineer, Public Works Department, Khand-2, Bilgram, Hardoi - Member;

(c) Executive Engineer, Irrigation Department, Hardoi - Member;

(d) Chief Medical Officer, Hardoi - Member;

(e) Executive Engineer, Uttar Pradesh Jal Nigam, Hardoi - Member;

(f) Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Unnao - Member;

(g) Divisional Director, (Divisional Forest Officer), Hardoi - Member and Convenor.

B. Nominated Members:

(a) Sri Abhiram Trivedi, District Development Officer, Hardoi - Member;

(b) Sri Ram Mahesh Yadav, Gram Pradhan, Kutuapur,Vikas Khand Madhoganj - Member;

(c) Sri Sushil Chandra Awasthi, Gram Pradhan, Mansoorpur, Vikas Khand Sandi - Member;

(d) Sri Hargovind Singh, Village - Chatiya, Dhanvar, Environmentalist - Member;

(e) Sri Narendra Chandra Shukla, Retired CSN Degree College, Hardoi, Environmentalist - Member;

(f) Sri Mannilal Shah, Ma Vaishno Udyog, Nagheta Road, Hardoi - Member.

2. The nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this order in the official gazette.

3. The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified in the said notification.

4. Travelling Allowance, Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the relevant rules of the State Government.

5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said notification.

[F. No. Estt.-01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration)

(National Mission for Clean Ganga)

आदेश

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2017

का. आ.2350 (अ).— केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जिला गाजीपुर के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

क- पदेन सदस्यगण

(i)	जिलाधिकारी, गाजीपुर	- अध्यक्ष ;
(ii)	अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, प्रांतीय खंड, गाजीपुर	- सदस्य;
(iii)	अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड प्रथम, गाजीपुर	- सदस्य;
(iv)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजीपुर	- सदस्य;
(v)	अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, गाजीपुर	- सदस्य;
(vi)	अधिशासी अभियंता, जल निगम-II, गाजीपुर	- सदस्य;
(vii)	क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी	- सदस्य;
(viii)	उप-प्रभागीय वन अधिकारी, सदर, गाजीपुर	- सदस्य व संयोजक;

ख- नामित सदस्यगण :

(i)	उपायुक्त, श्रम रोजगार , गाजीपुर	- सदस्य;
(ii)	श्री संतोष वर्मा पुत्र श्री दया शंकर वर्मा, वार्ड संख्या-4, गोलाघाट , गाजीपुर	- सदस्य;
(iii)	श्री अमरनाथ तिवारी पुत्र श्री राजेंद्र नाथ तिवारी, वार्ड संख्या-9, रायगंज , गाजीपुर	- सदस्य;
(iv)	प्रोफेसर पी. के. मिश्रा, विभागाध्यक्ष, पर्यावरण विभाग, पी. जी. कालेज, गाजीपुर (पर्यावरणविद)	- सदस्य;
(v)	श्री प्रसून कुमार दुबे पुत्र श्री नंदकिशोर दुबे, 31/19- महादेव कला,पीरनगर, गाजीपुर	- सदस्य;
(vi)	श्री वशिष्ठ यादव, मालिक, ब्राइप्लास्ट, मुगलानी चौक, गाजीपुर	- सदस्य;

2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

IndiaCode

3. जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी।

4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।

5. अध्यक्ष, दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था.-01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड-II)]
राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)
(राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन)

ORDER

New Delhi, the 27th July, 2017

S.O.2350(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection), Act. 1986 (29 of 1986), read with the paragraph 53 of the notification of the Government of India, in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), *vide* number S. O. 3187 (E), dated the 7th October 2016 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Protection Committee for District Gazipur of the State of Uttar Pradesh, comprising of the following members, namely:-

A. Ex-officio Members:

(a)	District Magistrate, Gazipur	- Chairperson;
(b)	Executive Engineer, Public Works Department, Provincial Division, Gazipur	- Member;
(c)	Executive Engineer, Irrigation Department, Circle-1, Gazipur	- Member
(d)	Chief Medical Officer, Gazipur	- Member;
(e)	Executive Engineer, Rural Engineering Department, Gazipur	- Member;
(f)	Executive Engineer, Jal Nigam-II, Gazipur	- Member;
(g)	Regional Officer, Pollution, Control Board, Varanasi	- Member;
(h)	Deputy Divisional Forest Officer, Sadar, Gazipur	- Member and Convenor.

B. Nominated Members:

(a)	Deputy Labour Commissioner, Gazipur	- Member;
(b)	Sri Santosh Verma, S/o.Sri Daya Shankar Verma Ward No.4 Golaghat	- Member;
(c)	Sri Amarnath Tiwari, S/o. Sri Rajendra Nath Tiwari, Ward No.9 Raiganj	- Member;
(d)	Prof. P. K. Mishra Head of Department, Departmetn of Environment, P.G. College, Gazipur, Environmentalist,	- Member;
(e)	Sri Prasun Kumar Dubey, S/o. Nandkishore Dubey, 31/19-Mahadeva Kala, Peernagar, Gazipur	- Member;
(f)	Sri Vashisth Yadav, Proprietor, Briplast Muglani, Chowk, Gazipur	- Member.

2. The nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this order in the official gazette.

3. The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified in the said notification.

4. Travelling Allowance, Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the relevant rules of the State Government.

5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said notification.

[F. No. Estt.-01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration)

(National Mission for Clean Ganga)

आदेश

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2017

का.आ.2351(अ).— केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जिला फ़र्रुखाबाद के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

क- पदेन सदस्यगण

(i)	जिलाधिकारी, फ़र्रुखाबाद	- अध्यक्ष;
(ii)	अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, फ़र्रुखाबाद	- सदस्य;
(iii)	अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, फतेहगढ़	- सदस्य;
(iv)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फ़र्रुखाबाद	- सदस्य;
(v)	अधिशासी अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम, फ़र्रुखाबाद	- सदस्य;
(vi)	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर	- सदस्य;
(vii)	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, फ़र्रुखाबाद	- सदस्य व संयोजक;

ख- नामित सदस्यगण :

(i)	नगर मजिस्ट्रेट, फ़र्रुखाबाद	- सदस्य;
(ii)	श्रीमती ज़रीना बेगम, प्रधान, ग्राम सभा सोताबहादुरपुर, फ़र्रुखाबाद	- सदस्य;
(iii)	श्री अशोक मिश्र, प्रधान, ग्राम सभा नगरिया, जवाहरपुर, फ़र्रुखाबाद	- सदस्य;
(iv)	सहायक अभियंता (पर्यावरण), उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर	- सदस्य;
(v)	सहायक वैज्ञानिक, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर	- सदस्य;
(vi)	श्री रोहित गोयल, अध्यक्ष, इंडियन इंडस्ट्रीज़ एसोसिएसन, फ़र्रुखाबाद	- सदस्य;

2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

3. जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी।

4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।

5. अध्यक्ष, दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. -01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड-II)]

राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

(राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन)

IndiaCode

ORDER

New Delhi, the 27th July, 2017

S.O.2351(E)—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection), Act. 1986 (29 of 1986), read with the paragraph 53 of the notification of the Government of India, in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), *vide* number S. O. 3187 (E), dated the 7th October 2016 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Protection Committee for District Farrukhabad of the State of Uttar Pradesh, comprising of the following members, namely:-

A. Ex-officio Members:

(a)	District Magistrate, Farrukhabad	- Chairperson;
(b)	Executive Engineer, Provincial Division, Public Works Department, Farrukhabad	- Member;
(c)	Executive Engineer, Irrigation Department Fatehgarh	- Member;
(d)	Chief Medical Officer, Farrukhabad	- Member;
(e)	Executive Engineer, Uttar Pradesh Jal Nigam, Farrukhabad	- Member;
(f)	Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Kanpur	- Member;
(g)	Divisional Director, Social Forestry, Farrukhabad	- Member and Convenor.

B. Nominated Members:

(a)	City Magistrate, Farrukhabad	- Member;
(b)	Smt. Zarina Begam, Pradhan, Gaon Sabha Sotabahadurpur, Farrukhabad)	- Member;
(c)	Sri Ashok Mishra, Pradhan, Gaon Sabha Nagriya Jawaharpur, (Farrukhabad)	- Member;
(d)	Assistant Engineer (Environment) Uttar Pradesh Pollution Control Board, Kanpur	- Member;
(e)	Assistant Scientist, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Kanpur	- Member;
(f)	Sri Rohit Goyal, President, Indian Industries Association, Farrukhabad	- Member.

2. The nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this order in the official gazette.

3. The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified in the said notification.

4. Travelling Allowance, Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the relevant rules of the State Government.

5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said notification.

[F. No. Estt.-01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration)

(National Mission for Clean Ganga)

IndiaCode

आदेश

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2017

का.आ.2352(अ).— केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जिला चंदौली के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

क- पदेन सदस्यगण

(i)	जिलाधिकारी, चंदौली	- अध्यक्ष;
(ii)	अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, चंदौली	- सदस्य;
(iii)	अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग,चंद्रप्रभा प्रखण्ड, चंदौली	- सदस्य;
(iv)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चंदौली	- सदस्य;
(v)	अधिशासी अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम, चंदौली	- सदस्य;
(vi)	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इलाहाबाद	- सदस्य;
(vii)	प्रभागीय वन अधिकारी, काशी जीव प्रभाग, चंदौली	- सदस्य व संयोजक;

ख- नामित सदस्यगण :

(i)	श्री कृष्ण त्रिपाठी, मुख्य विकास अधिकारी, चंदौली	- सदस्य;
(ii)	श्री आलोक कुमार सिंह, सभासद, वार्ड संख्या-15, कैलाशपुरी, नगर पालिका, मुगलसराय, चंदौली	- सदस्य;
(iii)	श्री सूर्य प्रताप सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सहजौर, विकास खंड-नियमताबाद, चंदौली	- सदस्य;
(iv)	प्रोफेसर डॉ. मधूलिका अग्रवाल, विभागाध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान विभाग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (पर्यावरणविद)	- सदस्य;
(v)	डॉ. कविता शाह, डीन, पर्यावरण विज्ञान संकाय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	- सदस्य;
(vi)	श्री दया शंकर मिश्रा, इंडियन इंक एंड केमिकल्स लिमिटेड प्लॉट संख्या के.-औद्योगिक क्षेत्र, रामनगर, चंदौली	- सदस्य;

2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

3. जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी।

4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।

5. अध्यक्ष, दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. -01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड-II)]

राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

(राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन)

IndiaCode

ORDER

New Delhi, the 27th July, 2017

S.O.2352(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection), Act. 1986 (29 of 1986), read with the paragraph 53 of the notification of the Government of India, in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), *vide* number S. O. 3187 (E), dated the 7th October 2016 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Protection Committee for District Chandauli of the State of Uttar Pradesh, comprising of the following members, namely:-

A. Ex-officio Members:

(a)	District Magistrate, Chandauli,	- Chairperson;
(b)	Executive Engineer, Prantiya Khand, Public Works Department, Chandauli	- Member;
(c)	Executive Engineer, Irrigation Department, Chandraprabha Prakhand, Chandauli	- Member;
(d)	Chief Medical Officer, Chandauli	- Member;
(e)	Executive Engineer, Uttar Pradesh Jal Nigam, Chandauli	- Member;
(f)	Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Allahabad	- Member;
(g)	Divisional Forest Officer, Kashi Wild Life, Chandauli	- Member and Convenor;

B. Nominated Members:

(a)	Shri Krishn Tripathi, Chief Development Officer, Chandauli	- Member;
(b)	Sri Alok Kumar Singh, Corporator, Ward No.15, Kailashpuri, Nagar Palika Mughalsarai, Chandauli	- Member;
(c)	Sri Surya Pratap Singh,Gram Pradhan,Gram Panchayat Sahjaur, Vikas Khand-Niyamtabad Chandauli	- Member;
(d)	Prof. Dr. Madhoolika Agarwal, Head of Department, Department, of Botany, Banaras Hindu University, Varanasi.(Environmentalist)	- Member;
(e)	Dr. Kavita Shah, Dean, Faculty of Environmental Science, Banaras Hindu University, Varanasi	- Member;
(f)	Sri Daya Shankar Mishra, Indian Ink and Chemicals Ltd., Plot No. K-Industrial Area, Ramnagar, Chandauli	- Member.

2. The nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this order in the official gazette.

3. The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified in the said notification.

4. Travelling Allowance, Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the relevant rules of the State Government.

5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said notification.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration)

(National Mission for Clean Ganga)

IndiaCode

आदेश

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2017

का.आ.2353 (अ).—केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिजनोर के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

क- पदेन सदस्यगण

(i)	जिलाधिकारी, बिजनोर	- अध्यक्ष;
(ii)	अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बिजनोर	- सदस्य;
(iii)	अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, बिजनोर	- सदस्य;
(iv)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिजनोर	- सदस्य;
(v)	अधिशासी अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम, बिजनोर	- सदस्य;
(vi)	सहायक विज्ञान अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनोर	- सदस्य;
(vii)	जिला वन अधिकारी, बिजनोर	- सदस्य व संयोजक;

ख- नामित सदस्यगण :

(i)	श्री मनीष कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी, बिजनोर	- सदस्य;
(ii)	श्री श्यामलाल, ग्राम प्रधान, टीप, बिजनोर	- सदस्य;
(iii)	श्री निसार, ग्राम प्रधान, बादशाहपुर, बिजनोर	- सदस्य;
(iv)	डॉ.अनामिका त्रिपाठी, प्रदूषण परिस्थितिकी शोध प्रयोगशाला, वनस्पति विज्ञान विभाग, हिन्दू कालेज, मुरादाबाद	- सदस्य;
(v)	श्री के. के. गुप्ता, महामंत्री, पर्यावरण मित्र समिति, रानी का फाटक, किसरोल, मुरादाबाद	- सदस्य;
(vi)	श्री विकास कुमार अग्रवाल, चैप्टर अध्यक्ष, इंडियन इंडस्ट्रीज़ एसोसिएसन, मेसर्स गंगा कंक्रीट वर्क्स, ग्राम- निजामतपुरा गंज, बिजनोर	- सदस्य;

2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

3. जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी।

4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।

5. अध्यक्ष, दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था.-01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड-II)]

राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)
(राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन)

IndiaCode

ORDER

New Delhi, the 27th July, 2017

S.O. 2353(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection), Act. 1986 (29 of 1986), read with the paragraph 53 of the notification of the Government of India, in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), *vide* number S. O. 3187 (E), dated the 7th October 2016 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Protection Committee for District Bijnor of the State of Uttar Pradesh, comprising of the following members, namely:-

A. Ex-officio Members:

(a)	District Magistrate, Bijnor	-	Chairperson;
(b)	Executive Engineer, Public Works Department, Bijnor	-	Member;
(c)	Executive Engineer, Irrigation Department, Bijnor	-	Member;
(d)	Chief Medical Officer, Bijnor	-	Member;
(e)	Executive Engineer, Uttar Pradesh Jal Nigam, Bijnor	-	Member;
(f)	Assistant Scientific Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Bijnor	-	Member;
(g)	District Forest Officer, Bijnor	-	Member and Convenor.

B. Nominated Members:

(a)	Sri Manish Kumar, Zila Panchayat Raj Adhikari, Bijnor,	-	Member;
(b)	Sri Shyamlal, Gram Pradhan, Teap, Bijnor,	-	Member;
(c)	Sri Nisar, Gram Pradhan, Badshahpur, Bijnor,	-	Member;
(d)	Dr. Anamika Tripathi, Pollution Ecology Research Laboratory, Department of Botany Hindu College, Moradabad,	-	Member;
(e)	Sri K K Gupta, Mahamantri, Paryavaran Mitra Samiti, Rani Ka Phatak, Kisrol, Moradabad,	-	Member;
(f)	Sri Vikas Kumar Agarwal, Chapter Chairman, Indian Industries Association, M/s. Ganga Concrete Works, Village-Nijamatpura Ganj, Bijnor	-	Member.

2. The nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this order in the official gazette.

3. The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified in the said notification.

4. Travelling Allowance, Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the relevant rules of the State Government.

5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said notification.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration)

(National Mission for Clean Ganga)

आदेश

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2017

का. आ.2354 (अ).— केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जिला भदोही के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

क- पदेन सदस्यगण

(i)	जिलाधिकारी, भदोही	- अध्यक्ष;
(ii)	अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भदोही	- सदस्य;
(iii)	अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, भदोही	- सदस्य;
(iv)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भदोही	- सदस्य;
(v)	अधिशासी अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम, भदोही	- सदस्य;
(vi)	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी	- सदस्य;
(vii)	जिला वन अधिकारी, भदोही	- सदस्य व संयोजक;

ख- नामित सदस्यगण :

(i)	अपर जिलाधिकारी (वित्त व राजश्व), भदोही	- सदस्य;
(ii)	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, भदोही	- सदस्य;
(iii)	जिला पंचायत राज अधिकारी, भदोही	- सदस्य;
(iv)	डॉ.कमाल अहमद सिद्दीकी, एसोसिएट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान विभाग, के. एन. आर. एच. महाविद्यालय, ज्ञानपुर भदोही	- सदस्य;
(v)	डॉ. रशमी सिंह, सहायक प्रोफेसर, वनस्पति विज्ञान विभाग, के. एन. आर. एच. महाविद्यालय, ज्ञानपुर, भदोही	- सदस्य;
(vi)	एक्मा, अध्यक्ष, उद्योग संघ,भदोही	- सदस्य;

2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

3. जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी।

4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।

5. अध्यक्ष, दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. -01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड-II)]

राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)
(राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन)

ORDER

New Delhi, the 27th July, 2017

S.O.2354(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection), Act. 1986 (29 of 1986), read with the paragraph 53 of the notification of the Government of India, in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), *vide* number S. O. 3187 (E), dated the 7th October 2016 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Protection Committee for District Bhadohi of the State of Uttar Pradesh, comprising of the following members, namely:—

IndiaCode

A. Ex-officio Members:

(a)	District Magistrate, Bhadohi	- Chairperson;
(b)	Executive Engineer, Public Works Department, Bhadohi	- Member;
(c)	Executive Engineer, Irrigation Department, Bhadohi	- Member;
(d)	Chief Medical Officer, Bhadohi	- Member;
(e)	Executive Engineer, Uttar Pradesh Jal Nigam, Bhadohi	- Member;
(f)	Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Varanasi	- Member;
(g)	District Forest Officer, Bhadohi	- Member and Convenor.

B. Nominated Members:

(a)	Additional District Magistrate (Finance &Revenue), Bhadohi	- Member;
(b)	Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Bhadohi	- Member;
(c)	District Panchayat Raj Adhikari, Bhadohi	- Member;
(d)	Dr. Kamal Ahmad Siddique, Associate Professor, Head Of Department, Vanaspati Vigyan Vibhag, KNRH Mahavidyalaya, Gyanpur, Bhadohi	- Member;
(e)	Dr. Reshmi Singh, Assistant Professor, Vanaspati Vigyan Vibhag, KNRH Mahavidyalaya, Gyanpur, Bhadohi	- Member;
(f)	Ekma, President, Udyog Sangh, Bhadohi	- Member.

2. The nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this order in the official gazette.

3. The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified in the said notification.

4. Travelling Allowance, Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the relevant rules of the State Government.

5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said notification.

[F. No. Estt.-01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration)

(National Mission for Clean Ganga)

आदेश

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2017

का. आ.2355 (अ).— केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जिला अमरोहा के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

क- पदेन सदस्यगण

(i)	जिलाधिकारी, अमरोहा	- अध्यक्ष;

IndiaCode

(ii)	अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, अमरोहा	-	सदस्य;
(iii)	अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, अमरोहा	-	सदस्य;
(iv)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अमरोहा	-	सदस्य;
(v)	अधिशासी अभियंता, जल निगम, अमरोहा	-	सदस्य;
(vi)	सहायक वैज्ञानिक, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनोर	-	सदस्य;
(vii)	प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा	-	सदस्य व संयोजक;

ख- नामित सदस्यगण :

(i)	श्री मदन वर्मा, जिला विकास अधिकारी, अमरोहा	-	सदस्य;
(ii)	श्री नानक सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत तिगरी, अमरोहा	-	सदस्य;
(iii)	श्री हरपाल सिंह, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, गजरौला, अमरोहा	-	सदस्य;
(iv)	श्री अजय टंडन पुत्र श्री राधा कृष्ण टंडन, पर्यावरणविद, पैटर्न, आर. के. पब्लिक स्कूल, अमरोहा	-	सदस्य;
(v)	श्री विनय कुमार गुप्ता पुत्र श्री साहू राज कुमार गुप्ता, पर्यावरणविद, सदस्य, रोटरी क्लब, सदस्य, आर्य समाज, अमरोहा	-	सदस्य;
(vi)	श्री हितेन्द्र कुमार पुत्र श्री छुट्टन सिंह, सदस्य, लोकल उद्योग संघ,अमरोहा, निवास- आवास विकास प्रथम, अमरोहा	-	सदस्य;

2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

3. जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी।

4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।

5. अध्यक्ष, दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. -01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड-II)]

राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

(राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन)

ORDER

New Delhi, the 27th July, 2017

S.O.2355(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection), Act. 1986 (29 of 1986), read with the paragraph 53 of the notification of the Government of India, in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), *vide* number S. O. 3187 (E), dated the 7th October 2016 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Protection Committee for District Amroha of the State of Uttar Pradesh, comprising of the following members, namely:—

IndiaCode

A. Ex-officio Members:

(a)	District Magistrate, Amroha	- Chairperson;
(b)	Executive Engineer, Public Works Department, Amroha	- Member;
(c)	Executive Engineer, Irrigation Department, Amroha.	- Member;
(d)	Chief Medical Officer, Amroha,	- Member;
(e)	Executive Engineer, Jal Nigam, Amroha,	- Member;
(f)	Assistant Scientist, Pollution Control Board, Bijnore,	- Member;
(g)	Divisional Forest Officer, Amroha,	- Member and Convenor.

B. Nominated Members:

(a)	Shri Madan Verma, District Development Officer, Amroha	- Member;
(b)	Shri Nanak Singh, Pradhan Gram Panchayat Tigri, District Amroha	- Member;
(c)	Shri Harpal Singh, Chairman, Nagar Palika Parishad, Gajraula, District Amroha	- Member;
(d)	Shri Ajay Tandon, S/o. Radha Krishna Tandon, Environmentalist, Pattern, R K Public School, Amroha	- Member;
(e)	Shri Vinay Kumar Gupta, S/o. Sahu Raj Kumar Gupta, Environmentalist, Member, Rotary Club, Member, Arya Samaj	- Member;
(f)	Shri Hitendra Kumar, S/o.Sri Chuttan Singh, Member , Local Udyog Sangh, Amroha, R/o-Avas Vikas-Ist, Amroha	- Member.

2. The nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this order in the official gazette.

3. The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified in the said notification.

4. Travelling Allowance, Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the relevant rules of the State Government.

5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said notification.

[F. No. Estt.-01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration)

(National Mission for Clean Ganga)

आदेश

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2017

का. आ.2356 (अ).— केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जिला इलाहाबाद के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

क- पदेन सदस्यगण

(i)	जिलाधिकारी, इलाहाबाद	- अध्यक्ष;
(ii)	अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड -4, इलाहाबाद	- सदस्य;
(iii)	अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, बाढ़ कार्य खंड , इलाहाबाद	- सदस्य;
(iv)	जिला कुष्ठ रोग अधिकारी, इलाहाबाद	- सदस्य;
(v)	परियोजना प्रबन्धक,गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई-1,उत्तर प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद	- सदस्य;
(vi)	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झूंसी, इलाहाबाद	- सदस्य;
(vii)	उप-प्रभागीय वन अधिकारी, फूलपुर, इलाहाबाद	- सदस्य व संयोजक;

ख- नामित सदस्यगण :

(i)	श्री अतुल सिंह, अपर जिलाधिकारी (नगर), इलाहाबाद	- सदस्य;
(ii)	श्री शिव सेवक सिंह, सभासद, नगर निगम, इलाहाबाद	- सदस्य;
(iii)	श्री कमलेश पाल, सदस्य, जिला पंचायत, ब्लॉक- बहरिया, इलाहाबाद	- सदस्य;
(iv)	प्रोफेसर आर. पी. वैश्य, आचार्य, जनपदीय अभियंत्रण, अभियंत्रण विभाग, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद	- सदस्य;
(v)	श्री दीनानाथ शुक्ल, सेवानिवृत प्रोफेसर इलाहाबाद विश्वविद्यालय , इलाहाबाद	- सदस्य;
(vi)	श्री विनय टंडन, सचिव, चैंबर ऑफ कॉमर्स, इलाहाबाद	- सदस्य;

2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

3. जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी।

4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।

5. अध्यक्ष, दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था.-01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड-II)]

राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)
(राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन)

ORDER

New Delhi, the 27th July, 2017

S.O.2356(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection), Act. 1986 (29 of 1986), read with the paragraph 53 of the notification of the Government of India, in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), *vide* number S. O. 3187 (E), dated the 7th October 2016 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes an authority to be called as the District

IndiaCode

Ganga Protection Committee for District Allahabad of the State of Uttar Pradesh, comprising of the following members, namely:-

A. Ex-officio Members:

(a)	District Magistrate, Allahabad	- Chairperson;
(b)	Executive Engineer, Public Works Department, Construction Division-4, Allahabad	- Member;
(c)	Executive Engineer, Irrigation Department, Flood Control Unit, Allahabad	- Member;
(d)	District Leprosy Disease Officer, Allahabad	- Member;
(e)	Project Manager, Ganga Pollution Control Unit-1, Uttar Pradesh Jal Nigam, Allahabad	- Member;
(f)	Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Jhunsi, Allahabad	- Member;
(g)	Deputy Divisional Forest Officer, Phoolpur, Allahabad	- Member and Convenor.

B. Nominated Members:

(a)	Sri Atul SIngh, Additional District Magistrate (City) Allahabad	- Member;
(b)	Sri Shiv Sewak Singh, Corporator, Nagar Nigam, Allahabad	- Member;
(c)	Sri Kamlesh Pal, Member, Zila Panchayat, Block-Baharia, Allahabad	- Member;
(d)	Prof. R. P. Vaish, Principal, Engineering Department, Motilal Nehru Institution of Technology, Allahabad	- Member;
(e)	Sri Dinanath Shukla, Retired Professor Allahabad University, Allahabad	- Member;
(f)	Sri Vinay Tandon, Secretary, Chamber of Commerce, Allahabad	- Member.

2. The nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this order in the official gazette.

3. The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified in the said notification.

4. Travelling Allowance, Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the relevant rules of the State Government.

5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said notification.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration)

(National Mission for Clean Ganga)

आदेश

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2017

का. आ.2357(अ).— केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बुलंदशहर के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

क- पदेन सदस्यगण

(i)	जिलाधिकारी, बुलंदशहर	- अध्यक्ष;
(ii)	अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, बुलंदशहर	- सदस्य;
(iii)	अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, बुलंदशहर	- सदस्य;
(iv)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलंदशहर	- सदस्य;
(v)	अधिशासी अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम, बुलंदशहर	- सदस्य;
(vi)	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलंदशहर	- सदस्य;
(vii)	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, बुलंदशहर	- सदस्य व संयोजक;

ख- नामित सदस्यगण :

(i)	अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), बुलंदशहर	- सदस्य;
(ii)	ग्राम प्रधान, रामघाट, तहसील- डिबाई, बुलंदशहर	- सदस्य;
(iii)	अध्यक्ष, नगर पंचायत, नरौरा, बुलंदशहर	- सदस्य;
(iv)	श्री कृष्ण कुमार शर्मा, पूर्व-परियोजना निदेशक, इंडियन काउंसिल ऑफ फोरेस्टरी रिसर्च एंड एजुकेसन , देहारादून	- सदस्य;
(v)	श्री नवीन प्रधान, प्रबन्धक, रिसर्च एंड रिलीफ़ सोसाइटी (पंजीकृत गैर सरकारी संस्थान), मेरठ	- सदस्य;
(vi)	श्री शरद टंडन, सचिव, सिकंदराबाद उद्योग कल्याण सोसाइटी, सिकंदराबाद, बुलंदशहर	- सदस्य;

2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

3. जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी।

4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।

5. अध्यक्ष, दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. -01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड-II)]

राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)
(राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन)

ORDER

New Delhi, the 27th July, 2017

S.O.2357(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection), Act. 1986 (29 of 1986), read with the paragraph 53 of the notification of the Government of India, in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), *vide* number S. O. 3187 (E), dated the 7th October 2016 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Protection Committee for District Bulandshahar of the State of Uttar Pradesh, comprising of the following members, namely:—

IndiaCode

A. Ex-officio Members:

(a)	District Magistrate, Bulandshahar	-	Chairperson;
(b)	Executive Engineer, Prantiya Khand, Public Works Department, Bulandshahar	-	Member;
(c)	Executive Engineer, Irrigation Department, Bulandshahar	-	Member;
(d)	Chief Medical Officer, Bulandshahar	-	Member;
(e)	Executive Engineer, Uttar Pradesh Jal Nigam, Bulandshahar	-	Member;
(f)	Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Bulandshahar	-	Member;
(g)	Divisional Director, Social Forestry, Bulandshahar	-	Member and Convenor.

B. Nominated Members:

(a)	Additional District Magistrate (Administration), Bulandshahar	-	Member;
(b)	Gram Pradhan, Ramghat, Tehsil Debai, Bulandshahar	-	Member;
(c)	Chairman, Nagar Panchayat, Narora, Bulandshahar	-	Member;
(d)	Sri Krishna Kumar Sharma, Ex-Project Director, Indian Council of Forestry Research and Education, Dehradun	-	Member;
(e)	Sri Navin Pradhan, Manager, Research and Relief Society, (Registered NGO) Meerut	-	Member;
(f)	Sri Sharad Tandon, Secretary, Sikandarabad Industries Welfare Society, Sikandarabad, Bulandshahar	-	Member.

2. The nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this order in the official gazette.

3. The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified in the said notification.

4. Travelling Allowance, Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the relevant rules of the State Government.

5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said notification.

[F. No. Estt.-01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration)

(National Mission for Clean Ganga)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.08.01 11:22:21 +05'30'